BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

दिव्यांग अधिकारों के लिए भारत की प्रतिबद्धता

2 दिसंबर, 2025

प्रमुख बातें

- देश में दिव्यांगता ढांचा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 **जैसे प्रगतिशील कानून के माध्यम से विकसित हुआ है**, जिसमें सभी क्षेत्रों में समानता, गरिमा और पहुंच पर जोर दिया गया है।
- संशोधित सुगम्य भारत ऐप, आईएसएल डिजिटल रिपॉजिटरी (3,189 ई-कंटेंट वीडियो), और आईएसएल प्रशिक्षण के लिए चैनल 31 **जैसी पहलों के साथ**, सरकार सीखने की एक बाधा मुक्त डिजिटल प्रणाली विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रही है।
- दिव्य कला मेला *जैसे प्रमुख आयोजनों* ने "वोकल फॉर लोकल" की भावना का प्रदर्शन करते हुए देश भर में **दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों** को बाजार से संपर्क कराया है।

एक समावेशी और सुलभ राष्ट्र के लिए भारत का दृष्टिकोण

भारत में, जहां विविधता राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला के रूप में पनपती है, वहां दिव्यांगजन अधिकारों के लिए गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो सभी के लिए सच्ची समावेशिता और आत्मनिर्भरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से प्रेरित है।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति हैं जो कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत हैं। इनमें से लगभग 1.50 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। दिव्यांगजन **अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, एक "दिव्यांगजन"** वह शख्स है जो दीर्घकालिक तौर पर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि से ग्रस्त है। ये हानि बाधाओं के साथ बातचीत में, दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है।

दूरदर्शी नीतियों और गतिशील कार्यक्रमों के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी दिव्यांगता के कारण वंचित न रहे, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर और सक्रिय सामाजिक भागीदारी के मार्ग उपलब्ध रहे।

दिव्यांग अधिकारों के लिए भारत का कानूनी और नीतिगत ढांचा

दिव्यांग अधिकारों के लिए भारत का कानूनी और नीतिगत ढांचा गतिशील है और एक ऐसे परिदृश्य को आकार देता है जहां पहुंच, शिक्षा और सशक्तिकरण न केवल आदर्श हैं बल्कि दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को सहज उपलब्ध भी हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

यह अधिनियम 2016 में अधिनियमित किया गया था और 19 अप्रैल, 2017 को दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 की जगह लागू हुआ। यह अधिनियम दिव्यांगता की 21 श्रेणियों को मान्यता देता है, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण को अनिवार्य करता है और दिव्यांगजनों के लिए पहुंच, गैर-भेदभाव और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकारों को कानूनी उत्तरदायित्व देता है। यह एक केंद्रीकृत प्रमाणन व्यवस्था भी पेश करता है और समावेशी शिक्षा, रोजगार और सामुदायिक जीवन के अधिकारों को मजबूत करता है।

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगजन कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

यह अधिनियम संबंधित मामलों और आकस्मिक प्रावधानों के साथ-साथ ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगजन कल्याण के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय निकाय की स्थापना करता है।

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) अधिनियम, 1992

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) को शुरू में 1986 **में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था** और बाद में **1993** में संसद के एक अधिनियम के तहत यह **एक वैधानिक निकाय** बन गया। **आरसीआई अधिनियम, 1992** पुनर्वास परिषद को **पुनर्वास पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित और निगरानी करने**, **पाठ्यक्रम को मानकीकृत करने** और पुनर्वास **और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योग्य कर्मियों के** केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर को बनाए रखने का अधिकार देता है। इस अधिनियम को 2000 **में संशोधित किया** गया था।

दिव्यांगजन अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए योजना अधिनियम 2016 (एसआईपीडीए)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (एसआईपीडीए) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) **का एक व्यापक कार्यक्रम है।** यह दिव्यांगजनों के लिए पहुंच, समावेश, जागरूकता और कौशल विकास को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के माध्यम से आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

प्रमुख सरकारी पहल और योजनाएं

सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और समावेश सुनिश्चित करने हेतु कई पहलों और योजनाओं को अपनाया है:

सुगम्य भारत अभियान

3 दिसंबर 2015 **को शुरू किया गया**, **सुगम्य भारत अभियान** एक समावेशी और सुलभ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। *"सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास"* के दृष्टिकोण से निर्देशित यह अभियान दिव्यांगजनों के सामने लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करता है। यह **तीन प्रमुख क्षेत्र - निर्मित बुनियादी ढांचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में सार्वभौमिक** पहुंच प्राप्त करने पर केंद्रित है। यह सभी के लिए समान पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करता है।

दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) **के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत** एक सुलभ और समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

डिजिटल रूप से समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने **अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2025 में संशोधित सुगम्य भारत ऐप का शुभारम्भ किया है।**

- उपयोगकर्ता पहले और पहुंच-पहले दृष्टिकोण **के साथ डिज़ाइन किया गया यह उन्नत ऐप,** भारत के डिजिटल एक्सेसिबिलिटी हब **के रूप में कार्य करता** है, जो दिव्यांगजनों को सूचना, सरकारी योजनाओं और आवश्यक सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है।
- इसमें एक **एक्सेसिबिलिटी मैपिंग टूल है** जो उपयोगकर्ताओं को सार्वजनिक स्थानों का पता लगाने और रेट करने में सक्षम बनाता है, जिससे समुदाय-संचालित पहुंच डेटा को प्रोत्साहित किया जाता है।
- यह ऐप दिव्यांगजनों के लिए बनाई गई योजनाओं, छात्रवृत्ति, रोजगार के अवसरों और शैक्षिक संसाधनों की **एक व्यापक निर्देशिका** भी प्रदान करता है।
- **शिकायत निवारण मॉड्यूल से लैस,** यह ऐप उपयोगकर्ताओं को पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए सीधे दुर्गम बुनियादी ढांचे की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। यह सहायक तकनीकों के

साथ काम कर सकता है, कई भारतीय भाषाओं **में काम करता है, और यह** एंड्रॉइड तथा आईओएस **दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।**

सहायक उपकरणों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी)

1981 में शुरू की गई एडीआईपी योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से निर्मित और आधुनिक सहायता एवं उपकरण प्राप्त करने में मदद करना है। इससे उनके शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास में काफी मदद मिल जाती है।

ये उपकरण दिव्यांगजनों को अधिक स्वतंत्र रूप से जीने, उनकी दिव्यांगता के असर को कम करने और आगे की जटिलताओं को रोकने में मदद करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। योजना के तहत दिए गए सभी सहायक उपकरण और उपकरणों को गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए उचित रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए। इस योजना में सहायक उपकरणों को फिट करने से पहले, जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक उपायों का भी प्रावधान है।

आशा की एक ध्वनि - कृतिका की सुनने तक की यात्रा

नागपुर की रहने वाली तीन साल की कृतिका को सुनने में गंभीर कमी का पता चला था, जिससे उसके लिए सुनना या बोलना मुश्किल हो गया था। 6 फरवरी, 2024 को, उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा समर्थित एडीआईपी (दिव्यांगजनों के लिए सहायता) योजना के तहत कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कराई।

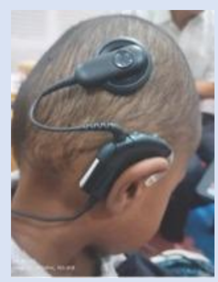

सर्जरी के बाद, कृतिका ने डिजिटल डायग्नोस्टिक क्लिनिक, नागपुर में नियमित चिकित्सा सत्रों में भाग लिया, जो एडीआईपी कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम के तहत एक सूचीबद्ध केंद्र है। अब, इम्प्लांट के 11 महीने बाद, उसमें काफी सुधार देखी गई - वह ध्वनियों को समझ सकती है, परिचित शब्दों को स्पष्ट रूप से बोल सकती है और मौखिक आदेशों का पालन कर सकती है।

अब उसने नागपुर के एक मराठी माध्यम के सरकारी स्कूल में एक आंगनवाड़ी में दाखिला ले ली है। उसके माता-पिता अपनी बेटी में निरंतर सुधार और ध्वनि के माध्यम से दुनिया का अनुभव करने की नई क्षमता को देखकर बहुत खुशी और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

भारत सरकार की **यह** केंद्रीय क्षेत्र की योजना **दिव्यांगजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास में लगे** स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस य़ोजना की शुरुआत 1999 **में हुई थी** और **2003 में इसे संशोधित कर इसका नाम बदल** दिया गया। इस योजना का उद्देश्य एक **सक्षम वातावरण** बनाना है जो दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण **सुनिश्चित करता है**। यह दिव्यांगजन **अधिकार अधिनियम, 2016** के प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए **स्वैच्छिक भागीदारी को भी बढ़ावा देता है**।

राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (एनडीएफडीसी)

राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (एनडीएफडीसी) डीईपीडब्ल्यूडी के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। 1997 में एक **गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित, एनडीएफडीसी** दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के आर्थिक सशक्तिकरण **को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।**

यह राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) और सार्वजनिक क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसे भागीदार बैंकों के माध्यम से **स्वरोजगार और आय सृजन गतिविधियों** के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनडीएफडीसी दो मुख्य ऋण योजनाएं संचालित करता है:

- **दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई): इसमें** व्यक्तिगत दिव्यांगजनों को रियायती ऋण मिलता है।
- **विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई):** देश में दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास के लिए स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों का समर्थन करती है।

आर्टिफ़िशियल लिम्ब्स मैन्युफ़ैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ALIMCO)

आर्टिफ़िशियल लिम्ब्स मैन्युफ़ैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ALIMCO) एक शेड्यूल 'C' **मिनीरत्न श्रेणी-II केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र** उपक्रम है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (गैर-लाभकारी उद्देश्य) के तहत पंजीकृत है (जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुरूप है)। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

यह 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकतम लाभ पहुँचाना है - दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास उपकरणों का निर्माण करके तथा कृत्रिम अंगों और अन्य सहायक उपकरणों की उपलब्धता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देकर।

कॉर्पोरेशन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। **इसका मुख्य फोकस अधिक से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को बेहतर गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण सुलभ मूल्य पर उपलब्ध कराना है।**

ADIP योजना के लाभों को देशभर में अधिक से अधिक दिव्यांगजनों तक पहुँचाने के प्रयास में, ALIMCO ने **प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र** *(PMDK)* की स्थापना राष्ट्रीय संस्थानों (NIs) तथा DEPwD, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत उपग्रह/क्षेत्रीय केंद्रों में, पूरे भारत में शुरू की है।

दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट आईडी (यूडीआईडी)

दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट आईडी परियोजना को **दिव्यांगजनों** (पीडब्ल्यूडी) का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट **दिव्यांगजन** पहचान पत्र (यूडीआईडी) जारी करने के लिए लागू किया जा रहा है। यह पहल सभी क्षेत्रों में एकरूपता बनाए रखते हुए दिव्यांगजनों को सरकारी लाभ प्रदान करने में पारदर्शिता, दक्षता और आसानी सुनिश्चित करती है। यह विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर लाभार्थियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर नज़र रखने में भी सहायता करता है।

यूडीआईडी परियोजना का उद्देश्य यूनिवर्सल आईडी और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक व्यापक एंड-टू-एंड सिस्टम का निर्माण करना है। इस प्रणाली में शामिल हैं:

- एक **केंद्रीकृत वेब एप्लिकेशन** के माध्यम से पीडब्ल्यूडी डेटा की राष्ट्रव्यापी उपलब्धता
- **दिव्यांगता** प्रमाण पत्र / यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना (ऑफ़लाइन जमान करने की भी अनुमति है जिसे बाद में डिजिटाइज़ किया जाता है)
- **दिव्यांगता प्रतिशत की गणना के लिए अस्पतालों या मेडिकल बोर्डों द्वारा** कुशल मूल्यांकन प्रक्रिया
- डुप्लिकेट पीडब्ल्यूडी रिकॉर्ड का उन्मूलन
- दिव्यांगजनों द्वारा या उनकी ओर से **सूचना का ऑनलाइन नवीनीकरण और अद्यतन**
- प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क
- दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न सरकारी लाभों/योजनाओं का एकीकृत प्रबंधन

- भविष्य में अतिरिक्त **दिव्यांगता** को भी मदद (वर्तमान में 21 **दिव्यांगताएं**, अपडेट के अधीन)

दिव्यांगजन कार्ड को ई-टिकटिंग फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसीएस) **के रूप में भी जाना जाता है। यह दिव्यांगजनों के लिए रेलवे पहचान पत्र** है जिससे उन्हें ट्रेन यात्रा पर रियायत मिलती है। आवेदक भारतीय रेलवे दिव्यांगजन पोर्टल या केंद्र सरकार के सेवा पोर्टल के माध्यम से कार्ड का नवीनीकरण या नवीनीकरण कर सकते हैं। यह कार्ड एक वैध **दिव्यांगता**/रियायत प्रमाण पत्र (कुछ श्रेणियों के लिए यूडीआईडी स्वीकार किया जाता है) के आधार पर जारी किया जाता है।

पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (**डीईपीडब्ल्यूडी**) का बनाया **पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी** एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य **राष्ट्रीय कौशल और रोजगार व्यवस्था के तहत** दिव्यांगजनों**, प्रशिक्षण** संस्थानों**,** नियोक्ताओं **और** नौकरी एग्रीगेटर्स **को जोड़ने वाले** वन-स्टॉप हब के रूप में है।

पोर्टल में दो प्रमुख मॉड्यूल हैं:

- **दिव्यांगजन कौशल विकास**: यह **दिव्यांगजन** के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) को लागू करता है, जो विशिष्ट **दिव्यांगता** पहचान (यूडीआईडी) आधारित पंजीकरण, 250 से अधिक कौशल पाठ्यक्रम, ऑनलाइन शिक्षण संसाधन और प्रशिक्षण भागीदारों, अध्ययन सामग्री और प्रशिक्षकों पर विवरण प्रदान करता है।
- **दिव्यांगजन रोजगार सेतु**: यह दिव्यांगजनों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाला एक समर्पित मंच है, जो निजी क्षेत्र के विवरण के साथ जियो-टैग की गई नौकरी रिक्तियों (विभिन्न **दिव्यांगताओं** में 3,000 से अधिक) की पेशकश करता है। अमेजन, यूथ4जॉब्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसी कंपनियों के साथ एमओयू से रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं।

राष्ट्रीय संस्थान और समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी)

देश के 9 राष्ट्रीय संस्थान– राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPVD), देहरादून; अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज़ (AYJNISHD); राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान (NIEPID), सिकंदराबाद; राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPMD), चेन्नई; पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (PDUNIPPD), दिल्ली; स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (SVNIRTAR), कटक; नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसएबिलिटीज़ (NILD), कोलकाता; इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (ISLRTC); नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन (NIMHR), सीहोर; तथा अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांगजन खेल प्रशिक्षण केंद्र, ग्वालियर–श्रवण एवं वाणी दिव्यांग व्यक्तियों सहित विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 30 समग्र क्षेत्रीय केंद्र (CRCs) को मंज़ूरी दी गई है, जो दिव्यांगजन के लिए पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने, पेशेवरों को प्रशिक्षण देने और उनकी आवश्यकताओं व अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं।

दिव्य कला मेला: सशक्तिकरण का एक मंच

2025 में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईजीडब्ल्यूडी) और राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (एनडीएफ़डीसी) ने दिव्यांगजनों के बीच उद्यमिता, रचनात्मकता और समावेश का जश्न मनाते हुए पूरे भारत में दिव्य कला मेले के कई संस्करणों का आयोजन किया। यह मेला "**वोकल फॉर लोकल**" पहल के अनुरूप है, जो दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण, कौशल-प्रदर्शन और सांस्कृतिक उत्सव के लिए एक मंच प्रदान करता है।

26वां दिव्य कला मेला 23 से 31 अगस्त, 2025 **तक बिहार की राजधानी पटना** में **आयोजित किया** गया। लगभग **20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** का प्रतिनिधित्व करने वाले **लगभग 100 दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों** ने इसमें भाग लिया। **75 स्टालों पर** पूरे भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई, पैकेज्ड फूड, पर्यावरण के अनुकूल वस्तुएं, खिलौने, स्टेशनरी और सहायक उपकरण प्रदर्शित किए गए। इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों के लिए समावेशिता सुनिश्चित करने हेतु सहायक उपकरणों के लिए विशेष क्षेत्र, एक रोजगार मेला, सांस्कृतिक प्रदर्शन और पहुंच-अनुकूल बुनियादी ढांचा भी शामिल था।

दिव्य कला मेले का 23वां और 24वां संस्करण 2025 की शुरुआत में क्रमशः वडोदरा और जम्मू **में आयोजित किया गया था**। इन मेलों में **सहायक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रदर्शन, कौशल संबंध और नौकरी के अवसर शामिल थे**, जिसमें कला, उद्यम और सशक्तिकरण के माध्यम से समावेश पर जोर रहा।

पर्पल फेस्ट 2025- भारत का समावेशन महोत्सव

पर्पल फेस्ट दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के समावेशन, पहुंच और सशक्तिकरण का देश का सबसे बड़ा उत्सव है। यह महोत्सव समावेशन को बढ़ावा देने वाले सर्वोत्तम प्रथाओं, सहायक प्रौद्योगिकियों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों को प्रदर्शित करने के लिए पूरे भारत के दिव्यांगजनों, नवप्रवर्तकों, शिक्षकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाता है।

गोवा में आयोजित इस वर्ष **के पर्पल फेस्ट** में, सरकार ने पहुंच को गहरा करने के उद्देश्य से प्रमुख डिजिटल और शैक्षिक पहलों का अनावरण किया:

- **संशोधित सुगम्य भारत ऐप:** यह स्क्रीन-रीडर सपोर्ट, वॉयस नेविगेशन, बहुभाषी इंटरफ़ेस और प्रत्यक्ष शिकायत निवारण की सुविधा वाला एक उन्नत एक्सेसिबिलिटी प्लेटफॉर्म है।
- **सीखने में पहुंच - तीन प्रमुख शुभारंभ:**

1. दिव्यांगजनों **के लिए आईईएलटीएस प्रशिक्षण पुस्तिका** - बिलिव इन द इनविजिबल *(बीआईटीआई समर्थन) द्वारा बनाई गई है, जो अनुकूलित सामग्री और आईएसएल वीडियो लिंक प्रदान करती है।*
2. **पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) - आईएसएल इंटरप्रिटेशन (सीआईएसएलआई) / एसओडीए (बधिर वयस्कों के भाई-बहन) और सीओडीए (बधिर वयस्कों के बच्चे) के लिए कौशल पाठ्यक्रम** *में प्रमाणन* - देश के विभिन्न हिस्सों से 17 उम्मीदवार मूल्यांकन के लिए उपस्थित हुए, जिनमें से सभी ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया।
3. **भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में अमेरिकी सांकेतिक भाषा (एएसएल) और ब्रिटिश सांकेतिक भाषा (बीएसएल) पर विशेष बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम** शुरू किया गया, जो आईएसएल पेशेवरों को एएसएल और बीएसएल के मूल सिद्धांतों से परिचित कराने, व्याकरण, वाक्यविन्यास और शब्दावली का ज्ञान प्रदान करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय दुभाषियों के लिए पेशेवर अवसरों को मजबूत करने के लिए है।

भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को बढ़ावा देना

डीईपीडब्ल्यूडी के तहत 2015 में स्थापित भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) पूरे भारत में आईएसएल को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रित संस्थान के रूप में कार्य

करता है। दिसंबर 2024 में, सरकार ने **डीटीएच पर पीएम ई-विद्या चैनल 31** लॉन्च किया, जो विशेष रूप से श्रवण बाधित छात्रों, विशेष शिक्षकों और दुभाषियों के लिए आईएसएल प्रशिक्षण के लिए समर्पित है।

सांकेतिक भाषा दिवस 2025 पर, आईएसएलआरटीसी ने दुनिया के सबसे बड़े आईएसएल डिजिटल रिपॉजिटरी का अनावरण किया, जिसमें **3,189 ई-सामग्री वीडियो** शामिल हैं–जो अब शिक्षकों, शिक्षार्थियों और बधिर समुदाय के लिए सुलभ हैं।

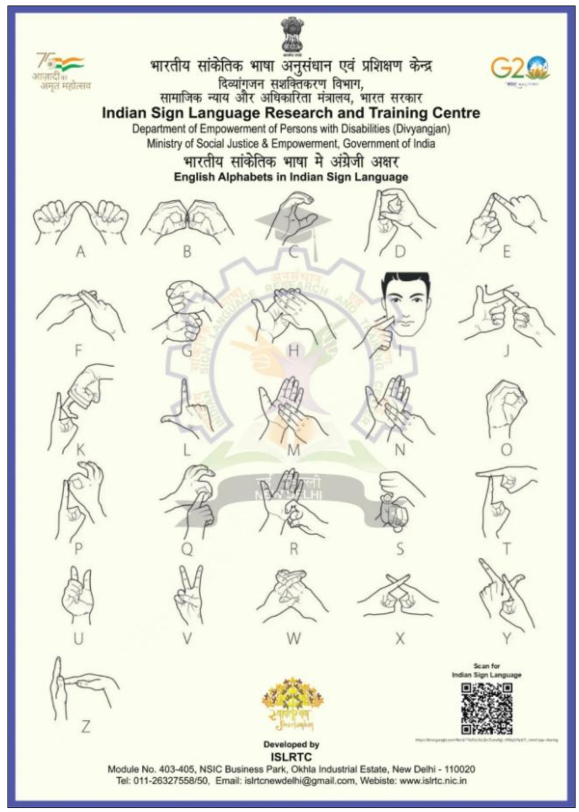

इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का विस्तार अब 10,000 से अधिक शब्दों को शामिल करने के लिए किया गया है, जबकि डिजिटल रिपॉजिटरी में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विषयों में अकादमिक वीडियो, फिंगरस्पेलिंग संसाधनों और 2,200 से अधिक शब्दावली वीडियो का एक समृद्ध संग्रह है। भारतीय सांकेतिक भाषा भी एक अकादमिक अनुशासन के रूप में विकसित हुई है, जिसे शिक्षण और सीखने को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए 1,000 से अधिक निर्देशात्मक वीडियो से मदद मिलती है।

इन प्रयासों को पूरा करते हुए, **प्रशस्त ऐप** स्कूलों में दिव्यांगता की शीघ्र पहचान और स्क्रीनिंग **की सुविधा प्रदान करता है**, जिससे समय पर हस्तक्षेप और व्यक्तिगत शिक्षण सहायता सुनिश्चित होती है। अब तक, **ऐप के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर** 92 लाख से अधिक छात्रों की जांच की जा चुकी है।

2020 में, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) ने कक्षा I-XII के लिए पाठ्यपुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री का आईएसएल में अनुवाद करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस प्रक्रिया के वर्ष **2026 तक पूरी होने की उम्मीद है।**

निष्कर्ष

भारत में दिव्यांगता कार्य का विकास दिव्यांगजनों के अधिकारों और क्षमता की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। समर्पित विभागों और पहलों की स्थापना समुदाय के भीतर समावेशिता, रचनात्मकता और सुदृढ़ता को

बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। प्रतिभा प्रदर्शित करने और आर्थिक अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए मंच प्रदान करके, ये प्रयास न केवल लोगों को सशक्त बनाते हैं बल्कि एक अधिक समावेशी समाज के निर्माण में भी योगदान करते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति गरिमा के साथ फल-फूल सकता है।

संदर्भ

- *https://divyangjan.depwd.gov.in/content/upload/uploadfiles/English_Annual_Report_Disability.pdf*
- *https://megscpwd.gov.in/disability-def.html*
- *https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3e58aea67b01fa747687f038dfde066f6/uploads/2023/10/2023101610539589 42.pdf*
- *https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/oct/doc2024105410301.pdf*
- *https://depwd.gov.in/en/sipda/*
- *https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2079826&utm_source=chatgpt.com*
- *https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2177876*
- *https://depwd.gov.in/en/adip/*
- *https://www.myscheme.gov.in/schemes/dddrs*
- *https://ndfdc.nic.in/about-ndfdc/our-organisation*
- *https://depwd.gov.in/en/unique-disability-id-udid/*
- *https://services.india.gov.in/service/detail/apply-for-divyangjan-card-services-for-railways?utm_source=chatgpt.com*
- *https://divyangjanid.indianrail.gov.in/assets/DivyangjanManual.pdf*
- *https://doptcirculars.nic.in/OM/files/Annexures/434_3.pdf?utm_source=chatgpt.com*
- *https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/oct/doc2024105410301.pdf*
- *https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2159986&utm_source=chatgpt.com*
- *https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2160238*
- *https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2177876*
- *https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2178048*
- *https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2081633&utm*
- *https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2170340&utm*
- *https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2170344&utm*

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2081633&utm

पीके/केसी/एके/एसवी